राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 234/2014/बांसवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत–बांसवाड़ा. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स,
बांसवाडा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 11/10/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत अपील संख्या अपील संख्या 16/वैट/13–14 बांसवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–बांसवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) ने दिनांक 16.05.2012 को व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान 6 लूज बिक्री पर्चीयां बरामद हुई जिनसे व्यवहारी ने कीमतन रुपये 72,200/– के लिये इलेक्ट्रोनिक्स माल की उचन्ति बिक्री की है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 25 एवं 61 करापवंचन का वाद दर्ज किया। व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में व्यवहारी ने उचन्ति बिक्री करना स्वीकार किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने मांग राशि आरोपित की। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2013 द्वारा आंशिक स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार........2

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में कूलर पर उद्वग्रहणीय 5 प्रतिशत की कर दर के स्थान पर 14 प्रतिशत की कर दर के आरोपण को अविधिक ठहराते हुये 5 प्रतिशत तक की कर राशि की सीमा तक पुष्टि कर अपील स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी ने तथ्यात्मक रुप से जांच कर माल की बिक्री कूलर की होने एवं उस पर कर दर 5 प्रतिशत होने से इस सीमा तक अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदल लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल.जैन)
सदस्य